**ग्राम पंचायत बरंडा, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के**

**लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

**अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016**

**भाग-एक**

**1 {क} प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बरंडा, विकास खण्ड नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 1-4-2013 से 31-3-2016 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-**

**प्रधान:-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमति विक्रमा देवी | 23-01-11 से 22-01-16 |
| 2. | श्री संजीव कुमार | 23-01-16 से अद्यतन |

**सचिव:-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री दविंद्र सिंह | 2009 से अद्यतन |

**{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-** ग्राम पंचायत बरंडा के लेखाओं अवधि 1-4-2013 से 31-3-2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

| क्रम.संख्या | पैरा स० | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशी {₹लाखों में} |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | पंचायत राजस्व की वसूली का शेष पाया जाना। | 1.16 |
| 2. | 7 | अनुदान राशियों का अधिक खर्च करने बारे। | 0.50 |
| 3. | 7.1 | अनुदान राशियों का अवरोधन। | 17.21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | 9 | औपचारिकता को पूर्ण किए बिना खरीद बारे। | 7.35 |
| 5 | 9.1 | निविदाओं का पूल करना। | 0.58 |
| 6. | 10 | निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे। | 8.06 |

**भाग – दो**

**2 वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत बरंडा , विकास खण्ड व तहसील नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20-02-2017 से 25-02-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व व्यय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 03/14,02/15 , 08/15, 01/14,07/14 व 06/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

**3 अंकेक्षण शुल्क** :-

ग्राम पंचायत बरंडा, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1-4-2013 से 31-3-2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 69 दिनांक 06-03-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बरंडा से अनुरोध किया गया।

**4 वितीय स्थिति** :-

ग्राम पंचायत बरंडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-4-2013 से 31-3-2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

**{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत बरंडा के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-**

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 156801 | 80176 | 236977 | 3870 | 233107 |
| 2014-15 | 233107 | 62513 | 295620 | 0 | 295620 |
| 2015-16 | 295620 | 43649 | 339269 | 0 | 339269 |

**{2} अनुदान :-** ग्राम पंचायत बरंडा के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 815492 | 2119419 | 2934911 | 1928749 | 1006162 |
| 2014-15 | 1006162 | 2447872 | 3454034 | 2145567 | 1308467 |
| 2015-16 | 1308467 | 2280687 | 3589154 | 1868222 | 1720932 |

**31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-**

| क्रम सं | बैंक का नाम | खाता खाता सं | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | KCCB baranda | 20076007475 | 1893725 |
| 2. | ----do------ | 50022363530 | 165985 |
| 3. | | Cash in hand | 491 |
| | | **TOTAL** | **2060201** |

**4.1 बैंक समाधान विवरणी :-**

(क)दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 2060201

(ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क-ख):- ₹ 2060201

**5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract ) को न तैयार करने बारे :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी

समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

**6 पंचायत राजस्व ₹1.16 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-16 तक पंचायत राजस्व ₹116265 की वसूली शेष थी ।

**गृ हकर :-**

| वर्ष | आ. शेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 67185 | 23000 | 90185 | 12370 | 77815 |
| 2014-15 | 77815 | 23000 | 100815 | ---- | 100815 |
| 2015-16 | 100815 | 23000 | 123815 | 7550 | 116265 |

जाँच में पाया गया कि गत तीन साल से पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली नाममात्र की गई है। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अत: गृह कर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व गृह कर की वसूली नियमित रूप से करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

**7 प्राप्त अनुदानों से ₹0.50 लाख अधिक व्यय करने बारे :-**

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान 3rd s tate के शीर्ष के अन्तर्गत ₹49677 इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹0.50 लाख अधिक खर्च किए गए जोकि अनियमित है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

**7.1 अनुदान ₹17.21 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹1720932 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान

राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 66 दिनांक 06-03-17द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत बरंडा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

**8 रोकड़ बही को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित न करने बारे :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार सचिव द्वारा तैयार रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित किया किया जाना अपेक्षित है परन्तु अवधि 4/14 से 3/16 तक की रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस अवधि में आय व व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए इन रोकड़ बहियों को सम्बन्धित प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये

**9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹7.35 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹735270 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :67 दिनांक 06-03-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बरंडा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ,जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित

करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**9.1 . निविदाओं को पूल करने बारे:-**

निम्न लिखित बिल /वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि स्वस्त्रोत से निम्न विवरणानुसार की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था:-

**(i) वा.सं 12 माह 07/14 मै० रामा इंजीनियरिंग वर्क पठानकोट, ₹58183 (बोर वेल हेतु पाइप व मोटर) :-**

(1) मै० रामा इंजीनियरिंग वर्क पठानकोट :- 98886-31675

(2) मै० आर.के ट्रेडिंग इंजीनियरिंग वर्क पठानकोट :- 98886-31675

(3) मै० इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वर्क पठानकोट :- 98147-31470

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त वाउचर के अंतर्गत की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को poolपूल किया गया है जिसके कारण उक्त क्रय में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया प्रतीत होता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है। अत: उक्त बारे स्थिति स्पष्ट कि जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति लेने उपरांत नियमित करवाया जाये।

**10 क्रय की गई ₹ 8.06 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण , भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹805740 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है । जो की एक गम्भीर मामला है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :67 दिनांक 06-03-17 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत बरंडा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि व उपयोग लेखा तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व अभिलेख पूर्ण कर आगामी लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाये अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

**11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : - 68 दिनांक 06-03-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बरंडा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

| क्रम संख्या | रजिस्टर/अभिलेख का नाम |
|---|---|
| 1. | मोबाइल टावर रजिस्टर |
| 2. | चल-अचल सम्पति रजिस्टर |
| 3. | निर्माण कार्यों का रजिस्टर |
| 4. | डाक टिकट रजिस्टर |
| 5. | रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी |
| 6. | अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
| 7. | रसीद बुक रजिस्टर |
| 8. | खाताबही |
| 9. | मस्ट्रोल रजिस्टर |

**12 निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को उपलब्ध न करवाने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान जाँच में चयनित माह के निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएँ अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। प्राकलन व माप पुस्तिका के आभाव में कार्य की मात्रा , भुगतान की दर व भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40 दिनांक 14-2-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत बरंडा को अवगत करवाया परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। जो की अनुचित है। सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

**13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**14. विविध अनियमितताएं :-**

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

**15 लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

**16 निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच)15(2)107/2017–खण्ड–1–4218–4221 दिनाँक 10–07–17 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

**पंजीकृत**

1 सचिव, ग्राम पंचायत बरण्डा, विकास खण्ड नूरपूर, तहसील नूरपुर, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881